


Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
नन्दराम पुत्र मनीराम
बनाम

उत्तम सिंह पुत्र साहबसिंह

किस्म मुकदमा:- प्रा0पत्र अ0 धारा 11-14 राज0 कोलो0 एक्ट 1954

प्र0स0:-542 / 13

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हए
25.10.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। शिकायतकर्ता नन्द सिंह हाजिर नहीं आये। शिकायतकर्ता को कार्यालय समय में बार-बार आवाजें लगाई गई, परन्तु शिकायतकर्ता हाजिर नहीं आये। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954, अदम पैरवी, अदम हाजरी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (अर्पिता सोनी) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (श्रीगंगानगर) </p>	

